न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक), नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी :: हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

ओमप्रकाश बनाम नवीन आदि

दावा

प्रार्थना पत्र अं0 आदेश 10, 151 सी.पी.सी.

एडवोकेट प्रार्थी :– श्री सुरेश कुमार सीगड़

एडवोकेट अप्रार्थी :– श्री विप्लव पंडित

आदेश

दिनांक 24.05.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– उपरोक्त उनवानी वाद में खसरा नम्बर 347, 618, 620, 1574, 1575 ग्राम खिरोड़ के बाबत घोषणा का दावा है। इस दावे से पूर्व उपरोक्त उनवान के दावे के प्रतिवादी नं0 11 अर्जुनराम ने एक दावा उनवानी अर्जुनराम बनाम रूघाराम वगैरह पेश किया हुआ है जिसके मुकदमा नम्बर 159/2011 है जो माननीय न्यायालय में चल रहा है। इस दावे में भी जमीन खसरा नम्बर 347, 618, 620 1574, 1575 ग्राम खिरोड़ के बाबत घोषणा का दावा किया हुआ है।

उक्त दोनों दावे में बताई जमीने स्व0 हुक्माराम की जमीन है। हुक्माराम के चार पुत्र पैदा हुये जिनमें अर्जुनराम, रूघाराम, पन्नाराम और चिमनाराम है इनमे केवल अर्जुनराम जीवित है। रूघाराम, पन्नाराम और चिमनाराम है इनमें केवल अर्जुनराम जीवित है। रूघाराम, पन्नाराम और चिमनाराम की मृत्यु हो चुकी है।

उक्त जमीनों के बाबत अर्जुनराम ने माननीय न्यायालय में इन दो दावों से पूर्व भी एक दावा उनवानी अरजन बनाम चिमना पेश किया था जिसके मुकदमा नम्बर 118/2006 है जिसका निर्णय माननीय न्यायालय में दिनांक 22.10.2010 को हो चुका है। उक्त दावा नम्बर 159/2011 अर्जुनराम ने पुनः न्यायालय में पेश किर दिया जो चल रहा है तथा उसके पश्चात ओमप्रकाश बनाम नवीन वगैरह का दावा माननीय न्यायालय में तीसरी बार पेश हुआ है जिसके मुकदमा नम्बर 98/2017 है जिसमें यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

दो दावे एक ही जमीन समान पक्षकार के मध्य समान जमीन के तथा समान ही रिलीफ के माननीय न्यायालय में चल रहे है जो कानूनन धारा 10 सी0पी0सी0 के तहत नही चल सकते इस कारण से बाद में किया गया दावा नम्बर 98/2017 की कार्यवाही ड्रोप होने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद ओमप्रकाश बनाम नवीन वगैरह धारा 10 सी0पी0सी0 के तहत चलने योग्य नही होने के कारण उसकी कार्यवाही ड्रोप होने योग्य है।

वकील अप्रार्थी ने जबाब पेश कर कथन किया कि उक्त प्रकरण खसरा नम्बर 347, 618, 620, 1574, 1575 के बाबत होना स्वीकार है। पूर्व दावा होना रिकॉर्ड की विषय वस्तु है परन्तु रिलीफ अलग अलग है। दावे की रिलीफ अलग अलग है अतः उक्त वाद की कार्यवाही विचाराधीन रहने में कोई कानूनी खामी नही है। वैसे सेक्शन 10 सीपीसी के तहत वाद की कार्यवाही कभी भी ड्रोप नही होती है आवेदनकर्ता की रीलीफ के मुताबिक ही प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पूर्ववर्ती वाद की चाही गई रीलीफ अलग अलग है इसलिए उक्त विचाराधीन वाद की कार्यवाही विचाराधीन रहने में कोई कानूनी खामी नही है। आवेदनकर्ता की रिलीफ के मुताबिक ही उक्त आवेदन खारिज होने योग्य है। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदनकर्ता का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

जबाबदेही पेश होने पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी ने जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पूर्ववर्ती व पश्चातवर्ती वाद के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती दावा संख्या 159/2011 उनवानी अर्जुनराम बनाम खांगाराम वगैरह घोषणा, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का है जबकि पश्चातवर्ती दावा संख्या 98/2017 उनवानी ओमप्रकाश बनाम नवीन वगैरह घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का ही है जिसमें विभाजन नही चाहा गया है। दानो दावों में भूमि एवं पक्षकार समान है तथा पूर्ववर्ती वाद में पश्चातवर्ती वाद के सभी अनुतोषों को शामिल किया गया है अतः दोनों दावों को चलाया जाना आवश्यक नही है। प्रकरण में सीपीसी धारा 10 के प्रावधान लागू होते है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र धारा 10, 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा पश्चातवर्ती वाद ओमप्रकाश बनाम नवीन की कार्यवाही इसी स्तर पर ड्रोप की जाती है। पश्चातवर्ती वाद को पूर्ववर्ती वाद के साथ हमफीता किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। निर्णय दिनांक 24.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/05/24

(हवाई सिंह यादव)
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़